

राजस्थान को शहरी विकास व शिक्षा के लिये 1121 करोड़ रु. मिले, मुख्यमंत्री ने आभार जताया

जयपुर/नई दिल्ली, 12 सितम्बर। राजस्थान सरकार को शहरी विकास और स्कूली शिक्षा क्षेत्र में केन्द्र सरकार से बड़ी आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि केन्द्र सरकार से इस सहयोग को प्राप्त करने के लिये वे पिछले दिनों शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले थे।

केन्द्रीय वित्त आयोग (शहरी) अनुदान के तहत राजस्थान को 541 करोड़ रुपये तथा समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय से 580 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इस प्रकार राज्य को कुल 1121 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस

उन्होंने कहा, इस राशि से शहरी आधारभूत ढांचे व शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने में मदद मिलेगी



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में का आभार जताते हुए कहा कि राज्य शहरी आधारभूत ढांचे के विकास एवं

स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि यह सहायता प्रदेश में शहरी परियोजनाओं को गति देने के साथ-साथ विद्यार्थियों के लिए शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाएगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार से इस सहयोग को प्राप्त करने के लिए उन्होंने हाल ही में केन्द्रीय आवसन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल तथा केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की थी, जिसमें प्रदेश की आवश्यकताओं पर विस्तार से चर्चा की गई थी।

उन्होंने विश्वास जताया कि केन्द्र एवं राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से राजस्थान में विकास की रफ्तार और तेज होगी तथा आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत 6 माह में दर्ज होना अनिवार्य

नयी दिल्ली, 12 सितम्बर। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रेण को कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले में शिकायत अधिकतम छह महीने में दर्ज करना अनिवार्य है।

न्यायमूर्ति पंकज मिथल और प्रसन्नजी वरवले की पीठ ने पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय विधि विज्ञान विश्वविद्यालय (कोलकाता) के कुलपति द्वारा ऐसी घटनाओं के खिलाफ एक महिला संकाय सदस्य की याचिका को समय सीमा समाप्त होने के कारण खारिज करने के फैसले को बरकरार रखते हुए ये टिप्पणी की।

पीठ ने शिकायतकर्ता की याचिका पर अपने फैसला सुनाते हुए कहा, "हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एलसीसी (स्थायी शिकायत समिति) के उस फैसले को बहाल करने में कोई कानूनी त्रुटि नहीं की है, जिसमें अपीलकर्ता की शिकायत समय सीमा पर कर चुकी है और खारिज किए जाने योग्य है।"

न्यायमूर्ति मिथल ने फैसले में लिखा, "गलती करने वाले को माफ करना उचित है, लेकिन गलती को खूला नहीं चाहिए। अपीलकर्ता के खिलाफ जो गलती हुई है, उसकी तकनीकी आधार पर जांच नहीं की जा सकती।"

बीकानेर में बैंच की संभावना पर जयपुर में वकीलों ने पैरवी नहीं की

केन्द्रीय विधि मंत्री अर्जुन मेघवाल के वायरल वीडियो की प्रतिक्रिया में सभी बार एसोसिएशन के वकील एकजुट रहे

वकीलों के पैरवी के लिये नहीं जाने पर निचली अदालतों में पीठासीन अधिकारियों ने मुकदमों में आगे की तारीख दी।

जयपुर, 12 सितम्बर। केन्द्रीय विधि मंत्री अर्जुनमेघवाल के वायरल वीडियो के बाद बीकानेर में हाईकोर्ट पीठ की स्थापना की आशंका पर शहर के वकीलों ने हाईकोर्ट सहित अधीनस्थ अदालतों में पैरवी नहीं की। इस दौरान अदालतों ने अधिकांश मामलों में सुनवाई टाल दी। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, द बार एसोसिएशन और द डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन की ओर से संयुक्त रूप से बैठक कर इस संबंध में निर्णय लिया गया था।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव रमिंत पारीक ने बताया कि केन्द्रीय मंत्री के वायरल वीडियो से बीकानेर में हाईकोर्ट की पीठ की

स्थापना को लेकर वकीलों में भ्रम पैदा हो गया है। ऐसे में एक दिन के लिए वकीलों ने सांकेतिक प्रदर्शन कर अदालतों में पैरवी नहीं की। अदालत खुलने के बाद बार पदाधिकारी हाईकोर्ट के मुख्य द्वार के पास एकत्रित हो गए और इस दौरान वकीलों ने अदालतों से दूरी बनाए रखी। कुछ वकील जानकारी के अभाव में मुकदमों में पैरवी के लिए जाने लगे तो बार पदाधिकारियों ने उन्हें प्रकरण की जानकारी देकर पैरवी

नहीं करने की गुजारिश की। इसके चलते अदालतों में बार एसोसिएशन का कोई सदस्य पैरवी के लिए नहीं गया।

द बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप लुहाडिया ने बताया कि वकीलों द्वारा पैरवी के लिए नहीं जाने पर निचली अदालतों के पीठासीन अधिकारियों ने मुकदमों में आगे की तारीख दी। इसी तरह अन्य अदालतों में भी वकीलों के नहीं जाने से कामकाज प्रभावित हुआ।

भारत सरकार सबसे बड़ी रक्षा डील की तैयारी में

नई दिल्ली, 12 सितम्बर। रक्षा मंत्रालय को भारतीय वायुसेना से 114 'मैक इन इंडिया' राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद का प्रस्ताव मिला है। इस सौदे की कीमत दो लाख करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जा रही है। खास बात यह है कि ये विमान फ्रांस की डर्जॉ एरिबिएन कंपनी बनाएगी, लेकिन इसमें भारतीय एयरोस्पेस कंपनियों की भी अहम

भूमिका होगी। मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर चर्चा शुरू कर दी है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, वायुसेना द्वारा तैयार किया गया स्टेटमेंट ऑफ केस (एसओसी) मंत्रालय को कुछ दिन पहले मिला है। अब इस पर रक्षा मंत्रालय की विभिन्न शाखाएं, जिसमें रक्षा वित्त भी शामिल है, विचार कर रही हैं। अगले चरण में यह प्रस्ताव रक्षा

खरीद बोर्ड डीपीपी) और फिर रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) के पास जाएगा। इस प्रस्ताव को अगर मंजूरी मिल जाती है तो यह भारत सरकार का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा होगा। इससे भारतीय रक्षा बलों के पास कुल 176 राफेल विमान हो जाएंगे। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास 36 राफेल हैं।

दिल्ली में ही क्यों, पूरे देश में बैन हों पटाखे

चीफ जस्टिस गर्वई ने कहा, पूरे देश में हवा खराब है, अगर पटाखों पर बैन लगे तो पूरे देश में लगे

नई दिल्ली, 12 सितम्बर। दिवाली से पहले एक बार फिर पटाखों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट नेशुक्रवार को पटाखों पर सिर्फ दिल्ली-एनसीआर में प्रतिबंध लगाए जाने पर सवाल उठाया है। मुख्य न्यायाधीश बी आर गर्वई पटाखों पर पूरे देश में प्रतिबंध लगाए जाने की बात पर जोर देते हुए कहा कि अगर एनसीआर के लोगों को साफ हवा का अधिकार है, तो बाकी शहरों के लोगों को क्यों नहीं? उन्होंने साफ कहा कि पटाखों को लेकर कोई भी नीति पूरे देश के लिए एक जैसी होनी चाहिए। सीजेआई ने आगे कहा कि हम सिर्फ दिल्ली के लिए नियम नहीं बना सकते, ऐसा नहीं हो सकता कि दिल्ली के लोग विशेष हैं। सीजेआई गर्वई ने

- दिवाली से पहले फिर से पटाखों पर प्रतिबंध की मांग जोर पकड़ रही है।
- ज्ञातव्य है कि पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली एनसीआर में दिवाली पर पटाखों पर बैन लगाया जाता है और गतवर्ष दिसंबर में तो पूरे वर्ष के लिए पटाखे पर बैन लागू किया गया था।

आगे कहा कि पिछले साल अमृतसर में था, वहां की हवा दिल्ली से भी ज्यादा खराब थी।

अगर पटाखों पर बैन लगाना है, तो पूरे देश में लगे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह ने समर्थन करते हुए कहा कि अमीर लोग तो खुद का ख्याल

रखते हैं, प्रदूषण बढ़ ता है तो दिल्ली छोड़कर बाहर चले जाते हैं। इसके बाद कोर्ट ने देशभर में पटाखों पर बैन लगाने की मांग वाली एक याचिका पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को नोटिस भेजा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी दिवाली से पहले आई है।

प्र.मंत्री की मां के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कांग्रेस को इस नीचता से ऊपर उठाना चाहिए। जनता इसका जवाब चुनाव में देगी। बिहार की जनता बेहद नाराज है। भाजपा के एक और प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने भी कहा कि यह वीडियो देश की माताओं की भावनाओं का मजाक उड़ाता है। उन्होंने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस ने पीएम मोदी की मां का एआई वीडियो जारी किया है। वे देश को करोड़ों माताओं की भावनाओं का अपमान कर रहे हैं। हमारे लिए मां, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती जैसी होती हैं। कांग्रेस नेताओं को चुनत माफी मांगनी चाहिए।" कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खंडा ने दावा किया कि वीडियो में किसी का अपमान नहीं किया गया है और भाजपा इस मुद्दे को सहानुभूति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रही है।

पायलट ने भूमि...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सरकार कोट चोरी से बनी है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2023 के विधानसभा चुनाव में पोस्टल बलैट के जरिए धांधली कर भाजपा ने सत्ता हासिल की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किसानों की दुश्मन पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद-बीज का भारी संकट है, किसानों पर लाठीचार्ज चलाई जा रही है, जबकि शावक की उपलब्धता आसान है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से गो माता की सेवा हेतु सक्रिय रहने का आह्वान भी किया।

नाबालिग लड़की से...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

परिचित घर आया। घर में नाबालिग को अकेला पाकर उसके साथ जबरदस्ती की। विरोध करने पर आरोपी ने डरा-धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। डर के मारे नाबालिग बेटी ने परिजन को आपबीती नहीं बताई। पेट में दर्द की शिकायत पर डॉक्टर को नाबालिग बेटी को दिखाया। प्रेन्नेट होने का पता चलने पर नाबालिग से पूछने पर उसने आरोपी परिचित की करतूत बताई। नाबालिग के साथ दरिदगी का पता चलने पर पीड़िता के पिता ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज करवाया।

जगदीप छोकर, जिन्होंने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कानून की पढ़ाई भी पूरी की थी। छोकर केवल एक कानूनी रणनीतिकार नहीं थे; वे सच्चे लोकतंत्र के एक अथक प्रवक्ता भी थे। वे स्वच्छ राजनीति, पार्टी फंडिंग में पारदर्शिता और क्षमबल के खतरों पर खुलकर बोलते और लिखते थे। (जगदीप छोकर अपने पीछे न केवल एडीआर छोड़कर गये हैं, बल्कि साहस, स्पष्टता और लोकतांत्रिक जवाबदेही के प्रति उनकी अडिग प्रतिबद्धता को विरासत भी पीछे छोड़ गए हैं।)

वे बेहद मिलनसार व्यक्ति भी थे। वे नवोदित पत्रकारों का धैर्यपूर्वक मार्गदर्शन करते थे तथा वे लोग उनके साथ बहुत सहज महसूस करते थे।

ब्लूटूथ से नकल कर चयनित दो और कनिष्ठ लिपिक गिरफ्तार

जयपुर, 12 सितम्बर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने कार्रवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से कनिष्ठ न्यायिक (सहायक लिपिक ग्रेड सेकेंड और लिपिक ग्रेड सेकेंड) के पदों पर सीधी भर्ती के लिए संयुक्त

दोनों आरोपियों ने नकल गिरोह के मास्टर माइंड से पांच-पांच लाख रुपये में सौदा किया था

में सौदा किया था। दोनों पिछले छह माह से फरार चल रहे थे। फिलहाल आरोपितों से पूछताछ की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी एसओजी) वीके सिंह ने बताया कि ब्लूटूथ से नकल कर कनिष्ठ लिपिक बनने वाले आरोपी राकेश जाखड़ (24) और ओमप्रकाश जाट (30) को गिरफ्तार किया है और दोनों ही आरोपित कुचेरा जिला नागौर के रहने वाले हैं। कनिष्ठ लिपिक राकेश जाखड़ वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या-4 उदयपुर के पदस्थापित था, जो पिछले करीब 8 महीने से स्वीच्छिक रूप से अनुपस्थित होकर फरार चल रहा था। वहीं, अन्य आरोपित राकेश जाखड़ का छोटा भाई बीरबल जाखड़ भी इसी परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइस से नकल

करके कनिष्ठ लिपिक के पद पर चयनित हुआ था। बीरबल जाखड़ को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपित ओमप्रकाश जाट वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या-1 ब्यावर में पदस्थापित था वह भी पिछले सात महीने से स्वीच्छिक रूप से अनुपस्थित होकर फरार चल रहा था। कनिष्ठ लिपिक ओमप्रकाश को ईओ-आरओ भर्ती परीक्षा-2022 ब्लूटूथ से नकल कर पास करने के आरोप में एसओजी ने अक्टूबर-2024 में गिरफ्तार किया था। सिंह ने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से कनिष्ठ न्यायिक (सहायक लिपिक ग्रेड सेकेंड और लिपिक ग्रेड सेकेंड) के पदों पर सीधी भर्ती के लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2022 का आयोजन

किया गया था। अजमेर के गीत गणपति प्राइवेट आईटीआई में राकेश जाखड़ का परीक्षा सेंटर आया था और वहीं नागौर के श्रीमती रतन बहन रामलाल चौधरी राजकीय बालिका सीनियर सैंकेंडरी स्कूल में ओमप्रकाश का परीक्षा सेंटर था।

नकल गैंग के मुख्य आरोपित पौरव कालेर ने मोबाइल के जरिए राकेश जाखड़ और ओमप्रकाश जाट को परीक्षा सेंटर में ब्लूटूथ डिवाइस से प्रश्न-पत्र के उत्तरों को नकल करवाई थी। नकल करने के लिए राकेश जाखड़ और ओमप्रकाश का पांच-पांच लाख रूपय में पौरव कालेर से सौदा तय हुआ था। ब्लूटूथ से नकल कर परीक्षा पास करने पर दोनों कनिष्ठ श्रेणी लिपिक (ग्रेड-द्वितीय) के पद पर चयनित हो गए।

दक्षिणपंथी नेता चार्ली कर्क का हत्यारा गिरफ्तार

वॉशिंगटन, 12 सितम्बर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रेण को घोषणा की कि दक्षिणपंथी कार्यकर्ता चार्ली कर्क की हत्या के संदिग्ध को बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान के बाद हिरासत में ले लिया गया है। फॉर्बस न्यूज को दिए एक लाइव स्टूडियो इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, "आरोपी के किसी बेहद करीबी ने ही उसे पकड़वाया है।" मुझे उम्मीद है कि उसे मौत की सजा मिलेगी। ट्रंप ने कहा कि अभी यह पता नहीं है कि संदिग्ध किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा था या नहीं। न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, चार्ली कर्क को हत्या करने वाला 22 वर्षीय डायलर रॉबिन्सन है और वह यूटा का रहने वाला है। रॉबिन्सन के पिता ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। एफबीआई ने चार्ली कर्क की मौत के मामले में एक संदिग्ध का वीडियो जारी किया था। जांच कर रहे अफसरों ने कर्क की हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया है। एफबीआई ने बताया था कि हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार एक हाई पावर्ड बोल्ट-एक्शन राइफल है। चार्ली कर्क अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद खास थे।

पूर्व मुख्य न्यायाधीश...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

'हामी नेपाल' से जुड़े सुदीप गुरुंग कर रहे थे, थे न्यायाधीश कार्की का नाम प्रस्तावित किया। कार्की नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने राजनीतिक नेताओं के खिलाफ सख्त कदम उठाए थे, जिस वजह से उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया भी शुरू हुई थी, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया। सुशीला कार्की का जन्म 7 जून 1952 को हुआ। वे आम जनता के लिए न्याय की आवाज रही हैं। 11 जुलाई 2016 को वे नेपाल की मुख्य न्यायाधीश बनीं और 6 जून 2017 तक इस पद पर रही।

भ्रष्टाचार और सरकार की गलत नीतियों पर उनके समझौता न करने वाले रुख के चलते, 30 अप्रैल 2017 को नेपाल की कम्प्यूटिस्ट पार्टी (माओ सेन्टर) और नेपाली कांग्रेस ने उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव मार्च 2017 में आए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद आया, जिसमें सरकार द्वारा पुलिस प्रमुख के रूप में जया बहादुर चंद की नियुक्ति रद्द कर, नवरज सिलवाल को सही ढरहारा न्याय था। हालांकि बाद में जनता के दबाव और सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के चलते संसद को महाभियोग

जब उन्होंने मुख्य न्यायाधीश के रूप में राजनीतिज्ञों के भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त व मजबूत रुख बरकरार रखा, तो कम्प्यूटिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (माओ सेन्टर) तथा नेपाली कांग्रेस महाअभियोग (इमपीचमेंट) का प्रस्ताव लाये संसद में, पर जनता के व सुप्रीम कोर्ट के आदेश से "इमपीचमेंट" की कार्यवाही रोकनी पड़ी थी, दोनों पार्टियों को।

■ न्यायाधीश कार्की ने 1972 में नेपाल के महेन्द्र मॉरंग कालेज से स्नातक की परीक्षा प्राप्त की, तदोपरान्त, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी से पोलिटिकल साइन्स में एम.ए. किया, तथा फिर लॉ की पढ़ाई त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से करके न्यायिक सेवा से जुड़ीं।

की प्रक्रिया आगे बढ़ाने से रोक दिया गया और यह प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। इस पूरी प्रक्रिया में कार्की ऐसी शक्तिशाली के रूप में सामने आईं, जो भ्रष्टाचार पर समझौता नहीं करतीं और किसी दबाव में नहीं झुकतीं। इसी वजह से वे आम जनता में लोकप्रिय हो गईं। कार्की ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। 1972 में उन्होंने महेन्द्र मॉरंग कॉलेज से कला स्नातक की डिग्री ली। इसके बाद वे भारत आईं और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से 1975 में राजनीति विज्ञान में पराम्नातक की डिग्री प्राप्त

की। फिर वे त्रिभुवन विश्वविद्यालय लौटीं और 1978 में कानून की पढ़ाई पूरी की। अधिकांश नेपाली युवा उन्हें एक ऐसी कठोर और अडिग शक्तिशाली मानते हैं, जो कभी भ्रष्टाचार के आगे नहीं झुकीं।

मुख्य न्यायाधीश रहते हुए, उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाकर अपनी पहचान बनाई। अब उनके सामने यह बड़ी जिम्मेदारी है कि वे देश की संस्थाओं पर जनता का विश्वास बहाल करें और आने वाले महीनों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करें।